# कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–215 / रासूआ / 15–3 / भोपाल / 2006)

श्री उमाशंकर मैथिल — अपीलकर्ता

ग्राम पोस्ट दिल्लौद,

भोपाल

विरूद्ध

सचिव, — प्रथम अपीलीय अधिकारी

म0प्र0लोक सेवा आयोग,

इन्दौर

आदेश

(दिनांक 19.07.06)

श्री उमाशंकर मैथिल, अपीलकर्ता ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 15.02.2006 और अपीलीय प्राधिकारी, लोक सेवा आयोग द्वारा अपीलकर्ता को लिखे पत्र 29.03.2006 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने लोक सेवा आयोग को अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन देकर आयोग के ज्ञापन क्रमांक 0896 के आधार पर दिनांक 1 जून 1997 को आयोजित अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त की लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप दिनांक 08.12.1997 से 27.12.97 तक लिये साक्षात्कार के आधार पर तैयार मेरिट अंक तालिका या मेरिट नम्बर शीट, (प्राप्तांक युक्त मेरिट सूची) की फोटो प्रति मांगी थी । अपीलकर्ता ने स्वयं अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था कि यह दस्तावेज गोपनीय नहीं हैं सभी नामों एवं अंकों को घोषित किया जा चुका है और वह आवश्यक नगद शुल्क देने के लिये तैयार हैं।

2. इस आवेदन पत्र में कोई आदेश पारित न करते हुए लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्र0 22108 / 5 / 05 / सू0अ0 दिनांक 15.02.06 से अपीलकर्ता को यह सूचित किया कि उसका आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत शासन आदेश क्रमांक एफ 11–37 / 05 / 1 / 9 भोपाल दिनांक 10.10.2005 के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त न होने के कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

3. इस पत्र से पीड़ित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की थी । इस अपील के संदर्भ में डॉ0 मधु खरे, अपीलीय प्राधिकारी, लोक सेवा आयोग, ने पत्र क्र0 24367 / 4 / 2005 / सू. अ. दिनांक 29 मार्च 2006 के द्वारा

अपीलकर्ता को सूचना दी कि आयोग के द्वारा मान्य सि़द्धान्त के अनुसार आवेदक केवल स्वयं की ही परीक्षा में प्राप्त अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की जानकारी आयोग द्वारा घोषित परिणामों के 6 माह के भीतर प्राप्त कर सकते हैं । आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उक्त परिधि में न आने के कारण अपील निरस्त की जाती है। अपीलकर्ता ने इन्हीं आदेशों से असंतुष्ट होकर राज्य सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की है।

4. इस अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । लोक सेवा आयोग की ओर से श्रीमती एस0के0बग्गा, उप सचिव ने अपीलकर्ता की अपील पर टीप भेजी है । संदर्भित पत्र द्वारा लोक सूचना आयोग से यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2005 की धारा 8 में यह प्रावधान रखा गया है कि कौन सी जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती । आयोग एक संवैधानिक संस्था है व आयोग ने अपनी बैठक दिनांक 9.12.2005 एवं 02.01.2006 में यह निर्णय लिया है कि आवेदकों को कौन सी जानकारी दी सकती है और कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने आयोग की उपरोक्त बैठकों के निर्णयों की प्रति भी संलग्न की है। इसी पत्र में यह भी सूचना दी है कि प्रत्येक चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित पुराने अभिलेख की जानकारी सभी व्यक्तियों को दी जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव न होने के कारण आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आवेदक चयन प्रक्रिया की स्वयं से सम्बन्धित जानकारी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के 6 माह के भीतर प्राप्त कर सकता है। इसी निर्णय के आधार पर श्री उमाशंकर मैथिल के प्रकरण में निर्णय लिया गया है। इसी आधार पर अपीलकर्ता को मांगी गयी जानकारी नहीं दी गयी है।

5. यह प्रकरण दिनांक 12 जुलाई 2006 को सुनवाई के लिये रखा गया था जिसमें लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिये सूचना दी गई थी । अपीलकर्ता श्री उमाशंकर मैथिल एवं लोक सूचना अधिकारी श्री हरीशंकर सोनी, अवर सचिव, लोक सेवा आयोग एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए । अपीलीय प्राधिकारी एवं सचिव, लोक सेवा आयोग, डॉ मधु खरे से यह पत्र प्राप्त हुआ कि प्रशासनिक कारणों से अपीलीय प्राधिकारी का उपस्थित होना 'सम्भव नहीं हो पा रहा है।' क्या प्रशासनिक कारण थे उनका उल्लेख नहीं किया गया है इसलिये डॉ0 मधु खरे की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में जो कारण दर्शाया गया है उसे अमान्य किया गया और उनकी अनुपस्थित में प्रकरण को सुना गया ।

6. इस प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी डॉ मधु खरे एवं लोक सूचना अधिकारी श्री हरीशंकर सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम को पढ़ने का कष्ट नहीं किया है । उन्होंने लोक सेवा आयोग की बैठक दिनांक 09.12.2005 एवं 02.01.2006 की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति भेजी है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कौन सी जानकारी दी जा सकती है और कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती और यह भी उल्लेखित किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह बात न तो आयोग के ध्यान में लाई गई है और न ही किसी ने पढ़ने का कष्ट किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (h) में लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वे सभी संस्थायें लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आती है जिन्हें संविधान के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसलिये राज्य लोक सेवा आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि के बाहर नहीं है। यह अधिनियम राज्य लोक सेवा आयोग पर पूरी तरह लागू होता है और राज्य लोक सेवा आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जानकारी देने के लिये बाध्य है।

7. लोक सेवा आयोग की दिनांक 09.12.2005 एवं 02.01.2006 की बैठक की कार्यवाही विवरण की जो प्रति दी गई है उसमें लोक सेवा आयोग ने लोक प्राधिकारी की हैसियत से विभिन्न मुद्दों पर सूचना न देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए, उनके विरूद्ध नहीं होने चाहिये और ऐसे भी नहीं होने चाहियें जिसमें किसी लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़े सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद ऐसे सभी अधिनियम, नियम या अनुदेश जो इसके प्रावधानों के अनुरूप नहीं है वह प्रभावहीन हो गये हैं यहां तक कि अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट के प्रावधान भी निष्प्रभावी कर दिये गये है । ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग की बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी देने के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये गये हैं उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिये । यदि किसी बिन्दु पर निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो वह स्वतः प्रभावहीन हो जाता हैं ।

8. सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी ने यह बताया है कि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह उपलब्ध है । 'यदि वह जानकारी उपलब्ध है तो अपीलकर्ता को तभी नहीं दी जा सकती है' जब वह सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से

विमुक्त की गई हो । किन विषय पर जानकारी देने के लिये लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 8 (1) में किया गया है। यह भी यहां कह देना आवश्यक है कि पुरानी सूचना देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ष की जानकारी प्राप्त कर सकता है यदि उसका रिकार्ड, रिकार्ड रखने के नियमों के अनुसार रखा गया है और नष्ट नहीं किया गया है । अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी जिन विषयों पर जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं है, उन्हें भी यदि 20 वर्ष का समय बीत गया हो तो देना होती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का यह कहना कि अपीलकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी नहीं दी जा सकती, जबकि वह जानकारी लोक सेवा आयोग में उपलब्ध है, मान्य नहीं किया जा सकता ।

9. लोक सूचना अधिकारी ने मौखिक सुनवाई के समय यह भी कहा है कि इस जानकारी में अन्य अभ्यार्थियों के साक्षात्कार की प्राप्तांक युक्त मेरिट अंक सूची और अंक है इसलिये यह जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है । किसी भी चयन परीक्षा में चयन के लिये पारदर्शिता का होना अत्यन्त आवश्यक है इस अधिनियम का उद्देश्य भी विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता रखना है । लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक आवेदक को यह जानकारी सुगमता से मिलनी चाहिए कि जिन अभ्यार्थियों की नियुक्ति की गयी है और जो नियुक्ति से वंचित रह गये हैं उन्हें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य मापदण्डो के आधार पर किस प्रकार के अंक मिले हैं । लोक सूचना अधिकारी का यह अभिकथन कि यह जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, व्यापक लोक हित में मान्य योग्य नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था अधिनियम की धारा 11 (1) के परन्तुक में की गयी है।

10. अपीलकर्ता की यह अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलकर्ता को मांगी जानकारी इस आदेश के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
19.07.2006